भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-317

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2021 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं

317. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्लाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में अवस्थित उन सभी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा और इन परियोजनाओं की क्षमता कितनी-कितनी है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है;

(ख) तमिलनाडु में अवस्थित परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत का राज्य-वार वितरण क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्रीन पावर कॉरिडोर की स्थिति क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में अंतर-राज्यीय पारेषण योजना की स्थिति और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, तमिलनाडु में स्थित, केंद्रीय उत्पादन विद्युत परियोजनाओं से आवंटित विद्युत और उसकी अब तक की क्षमता का, राज्य-वार वितरण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मेगावाट में आवंटन

स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मेगावाट में आवंटन						
		आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	तेलंगाना	पुदुचेरी	एनएलसी खान
एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) टीपीएस-II चरण-I	**630**	46.70	145.45	63.02	188.80	59.08	76.96	50.00
एनएलसीआईएल टीपीएस-II चरण-II	**840**	85.59	195.86	90.03	281.84	105.96	30.73	50.00
एनएलसीआईएल टीपीएस-I विस्तार	**420**	-	108.30	68.76	226.44	-	16.51	-

स्टेशन	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से मेगावाट में आवंटन						
		आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	तेलंगाना	पुदुचेरी	एनएलसी खान
एनएलसीआईएल टीपीएस-II विस्तार	**500**	-	128.93	81.85	269.57	-	19.65	-
एनएलसीआईएल-नेवेली न्यू थर्मल पावर स्टेशन (एनएनटीपीएस)	**1000**	52.69	73.71	32.38	654.58	62.10	58.53	66.00
एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल) (जेवी) वल्लूर टीपीएस	**1500**	86.16	162.48	49.94	1064.85	109.07	27.50	-
एनएलसीआईएल और टैंजेडको (जेवी) एनटीपीएल	**1000**	121.32	211.60	72.54	412.54	150.60	31.41	-
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) - मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र (एमएपीएस)	**440**	18.12	37.16	23.01	330.88	22.51	8.33	-
एनपीसीआईएल कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन (केकेएनपीपी) यू-आई	**1000**	0.00	233.67	140.51	589.02	0.00	36.80	-
एनपीसीआईएल केकेएनपीपी यू-II	**1000**	0.00	221.00	133.00	562.50	50.00	33.50	-

(ग) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अपनी ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर स्कीम के तहत तमिलनाडु में ग्रीन पावर कॉरीडोर की स्थिति इस प्रकार हैः

स्थिति	पारेषण लाइनें (सर्किट किलोमीटर, सीकेएम)	सब-स्टेशन समग्र क्षमता (मेगा वोल्ट एम्पीयर, एमवीए)
स्वीकृत	1068 सीकेएम	2250 एमवीए
निर्मित (स्वीकृत में से)	1058 सीकेएम (99.06%)	1850 एमवीए (82.22%)

(घ) : वर्तमान में, तमिलनाडु में कोई अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, तमिलनाडु में हाल ही में कार्यान्वित की गई अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीम का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	**अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीम का नाम**	**कार्यान्वयन की स्थिति**	
		वास्तविक प्रगति (% में)	**प्रारंभ होने की तारीख**
1.	**पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक - उत्तर त्रिचूर (केरल) - स्कीम-I: रायगढ़-पुगालुर 6000 मेगावाट एचवीडीसी**		
1.1	800 केवी रायगढ़ (एचवीडीसी स्टेशन) - पुगलूर (एचवीडीसी स्टेशन) एचवीडीसी बाइपोल लिंक	100%	सितंबर, 2020 में प्रारंभ की गई
1.2	6000 मेगावाट एचवीडीसी टर्मिनल के साथ 800 केवी एचवीडीसी पुगलूर स्टेशन	100%	अक्टूबर, 2021 में प्रारंभ की गई
2.	**पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक, तमिलनाडु) - उत्तर त्रिचूर (केरल) - स्कीम-III: पुगलूर - त्रिचूर 2000 मेगावाट वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रणाली**		
2.1	320 केवी एचवीडीसी पुगलूर - उत्तर त्रिचूर (केरल) लाइन	100%	मार्च, 2021 में प्रारंभ की गई
2.2	पुगलूर में 320 केवी वीएससी आधारित एचवीडीसी टर्मिनल (2000 मेगावाट)	100%	जून, 2021 में प्रारंभ की गई
3.	**नैवेली तमिलनाडु में नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड टीएस-1 (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली**		
3.1	400 केवी डी/सी एनएनटीपीएस एसडब्ल्यू वाई.डी. - अरियालुर (विल्लुपुरम) लाइन	100%	जुलाई, 2020 में प्रारंभ की गई
3.2	एनएनटीपीएस उत्पादन यार्ड में मौजूदा नेवेली टीएस-II - पांडिचेरी 400 केवी एस/सी का एलआईएलओ। (2 किमी डी/सी और 2 किमी एम/सी)	100%	जून, 2018 में प्रारंभ की गई
4.	**पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक-उत्तर त्रिचूर (केरल) - स्कीम-II: पुगालुर छोर पर एसी प्रणाली सुदृढ़ीकरण**		
4.1	400 केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन - पुगलूर लाइन (क्यू)	100%	सितंबर, 2020 में प्रारंभ की गई
4.2	400 केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन - अरासुर लाइन (क्यू)	100%	सितंबर, 2020 में प्रारंभ की गई
4.3	400 केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन - तिरुवलम लाइन (क्यू)	100%	अक्टूबर, 2021 में प्रारंभ की गई
4.4	400 केवी डी/सी पुगलूर एचवीडीसी स्टेशन-एडयारपालयम (टैंट्रानस्को) लाइन (क्यू)	100%	जुलाई, 2021 को प्रारंभ की गई
4.5	400 केवी डी/सी एडयारपालयम (टैनट्रांसको) - उडुमुलपेट लाइन (क्यू)	100%	जुलाई, 2021 को प्रारंभ की गई

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-318

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विद्युत दुर्घटनाओं के कारण मानव जीवन को हुई क्षति

318. श्री सुशील कुमार गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विद्युत दुर्घटनाओं के कारण मानव जीवन को हुई क्षति के मुआवजे के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करेगी?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या प्रयोग के संबंध में अथवा विद्युत लाइनों या वैद्युत संयंत्र के किसी भाग में या उसके संबंध में हुई किसी दुर्घटना और उस दुर्घटना के फलस्वरूप मानव या पशु जीवन को हुई हानि अथवा किसी मनुष्य या पशु को पहुँची या संभाव्य किसी क्षति पर ध्यान देने का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार ने दुर्घटना की सूचना (सूचना प्रेषित करने का रूप और समय) नियम, 2005 अधिसूचित किए हैं, जिसमें उपबंध किया गया है कि विद्युत प्रतिष्ठानों में विद्युत निरीक्षक को विद्युत संबंधी दुर्घटना की सूचना दुर्घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर दी जाएगी और दुर्घटना के 48 घंटे के भीतर विद्युत निरीक्षक को निर्धारित प्रारूप में लिखित सूचना दी जानी होगी।

कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान "कर्मचारी का मुआवजा अधिनियम, 1923" के अंतर्गत कवर किया गया है। विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व विद्युत अवसंरचना की उचित स्थिति में प्रचालन और अनुरक्षण करना है। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी द्वारा उनकी नीतियों के अनुसार किन्हीं विद्युत दुर्घटनाओं द्वारा हुई हानियों के लिए मुआवजे का निर्णय किया जाता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-319

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2021 को दिया जाना है ।

विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ

319. श्रीमती झरना दास बैद्यः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है; और

(ख) कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों में 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : वर्ष 2005-06 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और सौभाग्य सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत कुल 3.45 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले घर लाभान्वित हो चुके हैं।

(ख) : भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के घरों को एकल पॉइंट विद्युत कनेक्शन देने के लिए कुटीर ज्योति नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। कुटीर ज्योति के अंतर्गत, राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को भीतरी वाइरिंग और सेवा कनेक्शन प्रभार की एक बारगी लागत **100% पूंजीगत सब्सिडी** के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। कुटीर ज्योति योजना का वर्ष 2005 में आरजीजीवीवाई में विलय कर दिया गया था। इसके साथ-साथ और डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य, आरजीजीवीवाई जैसी विभिन्न अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में सभी आवासित जनगणना गांवों का और सौभाग्य के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घरों सहित सभी घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-320

जिसका उत्तर 30 नवंबर, 2021 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता

320. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई विशेष आर्थिक सहायता या अनुदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'उदय' के अंतर्गत भाग लेने वाले राज्यों से विद्युत के उत्पादन, वितरण, पारेषण आदि जैसे क्षेत्रों में कुछ सुधार करने की आशा की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत राज्यों को कोई विशेष वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

(ख) : जी, हां। उदय स्कीम विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय कायापलट से संबंधित है जिसका उद्देश्य राज्य डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक और वित्तीय दक्षता में सुधार करना है। इस स्कीम के प्रयोजन के लिए डिस्कॉम संयुक्त उत्पादन, पारेषण और वितरण उपक्रमों को शामिल कर सकते हैं।

(ग) : उदय के अंतर्गत भागीदारी तथा दक्षताओं में सुधार करने और हानियों में कमी लाने के लिए विभिन्न अन्य उपायों के परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने सुधार होने की सूचनाएं दी हैं, जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्त वर्ष 2016 में 23.70 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 20.93 प्रतिशत तक कमी तथा (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्त वर्ष 2016 में रुपये 0.48 प्रति केडब्ल्यूएच की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 0.30 प्रति केडब्ल्यूएच तक कमी शामिल है। एटीएंडसी हानियों तथा एसीएस-एआरआर अंतरों पर राज्यों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 30.11.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 320 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटीएंडसी हानियां (%)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**24.04**	**24.05**	**22.15**	**22.57**	**21.73**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.34	23.39	22.71
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.26	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	58.36	55.50	45.71
असम	26.02	20.11	17.64	20.14	23.37
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	40.38
चंडीगढ़			4.00	4.21	4.60
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	22.50	29.81	23.68
दादरा और नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			17.01	6.19	4.07
गोवा	19.77	24.33	13.52	15.69	13.99
गुजरात	16.23	14.42	12.96	13.99	11.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.19
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	11.68
जम्मू और कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	35.95	32.48	28.60	36.96
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.83	17.59
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	14.47
लक्षद्वीप			19.15	23.33	14.28
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.64	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.38	16.23	19.92
मणिपुर	31.72	33.01	27.50	38.17	20.27
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	34.32
मिजोरम	35.18	24.98	22.44	16.20	20.66
नगालैंड	33.44	38.50	41.36	40.06	52.93
उड़ीसा	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.85
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.88
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.08	17.80	21.54
त्रिपुरा	32.68	31.79	30.31	35.49	37.85
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.80	33.19	30.05
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	16.96	20.35
पश्चिम बंगाल	28.08	27.83	26.69	23.00	20.40
निजी क्षेत्र	**12.44**	**10.80**	**9.36**	**8.28**	**8.00**
दिल्ली (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल)	12.44	10.80	9.93	9.17	8.19
गुजरात (टोरेंट अहमदाबाद और सूरत)			6.53	5.20	4.59
महाराष्ट्र (एईएमएल)				8.20	9.52
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)			9.08	9.36	9.76
पश्चिम बंगाल (सीईएससी और आईपीसीएल)			10.74	8.95	9.06
कुल जोड़	**23.70**	**23.66**	**21.50**	**21.74**	**20.93**

****

प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्ल्यूएच)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राज्य क्षेत्र	**0.50**	**0.39**	**0.32**	**0.54**	**0.35**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.86	19.47	19.58
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.67	(0.19)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	4.64	4.27	4.92
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(0.36)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.92
चंडीगढ़			(1.64)	(0.26)	(0.82)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.23	0.45	0.17
दादरा और नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			(1.38)	(0.61)	(0.30)
गोवा	0.71	0.70	(0.06)	0.39	0.60
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.06)	(0.02)	(0.06)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.02)
जम्मू और कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.58	0.87
कर्नाटक	0.01	0.29	0.30	0.24	0.39
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	20.30	18.22
मध्य प्रदेश	0.87	0.18	0.78	1.29	0.69
महाराष्ट्र	0.21	0.06	(0.13)	(0.19)	(0.19)
मणिपुर	0.02	0.06	(0.02)	0.34	0.08
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.80
मिजोरम	2.06	2.12	(1.30)	1.18	(1.94)
नगालैंड	0.20	0.81	0.81	4.09	5.62
उड़ीसा	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पुदुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	0.50	(0.09)	0.06	0.31
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	0.54
तमिलनाडु	0.67	0.50	0.89	1.32	1.27
तेलंगाना	0.74	1.23	1.12	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	(0.15)	(0.09)	(0.06)	0.43
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.45	0.54	0.34
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.38	0.38
पश्चिम बंगाल	(0.04)	0.04	(0.02)	(0.01)	(0.12)
निजी क्षेत्र	**(0.10)**	**(0.16)**	**(0.44)**	**(0.38)**	**(0.48)**
दिल्ली (बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल)	(0.10)	(0.16)	(0.19)	(0.26)	(0.37)
गुजरात (टोरेंट अहमदाबाद और सूरत)			(0.50)	(0.26)	(0.52)
महाराष्ट्र (एईएमएल)				(0.15)	(0.22)
उत्तर प्रदेश (एनपीसीएल)			(1.34)	(0.97)	(0.69)
पश्चिम बंगाल (सीईएससी और आईपीसीएल)			(0.93)	(0.99)	(0.94)
कुल जोड़	**0.48**	**0.37**	**0.28**	**0.49**	**0.30**

****